2. *मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष*

I. *रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय का राजस्व व्यय आईआर के सामान्य कार्यचालन व्यय का केवल 2.68 प्रतिशत था।*

(पैरा 2.2)

II. *2008-13 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल चिकित्सा व्यय का केवल चार प्रतिशत था। माझेरहाट/पू.रे. में नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल बनाने में अनुचित योजना के कारण ₹ 17.64 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ था।* ***(पैरा 2.3)***

III. *डॉक्टरों और परामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा उपकरण निष्क्रिय हुये और बाहर से बुलाये गये चिकित्सकों/विशेषज्ञों पर निर्भरता बढ़ी, उनको कोई दायित्व दिये बिना बाहर से चिकित्सकों/विशेषज्ञों को बुलाने में ₹ 80.23 करोड़ के व्यय के बावजूद 2008-13 के दौरान गैर-रेलवे अस्पतालों से उपचार के लिये ₹ 1146 करोड़ का व्यय परिहार्य नहीं हो सका।* ***(पैरा 3.1.1 – 3.1.4)***

IV. सात क्षेत्रीय रेलों में दवाइयों की आपूर्ति के लिये विक्रेताओं के पंजीकरण में कमियां देखी गई। केन्द्रीय खरीद संविदा को अंतिम रूप देने में विलंब, क्रय आदेश जारी करने में विलंब और फर्मों द्वारा विलंब से आपूर्ति करने के कारण लंबित हुई जिससे दवाईयों की स्थानीय खरीद में काफी वृद्धि (66 प्रतिशत) हुई। दवाईयों की स्थानीय खरीद क्षेत्रीय रेल को कुल बजट आबंटन के 15 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से बढ़ी। आईआर में, स्वाधिकृत वस्तु प्रमाण-पत्र (पीएसी) मदों की समान सूची नहीं थी। एकल संविदा आधार पर उच्च दरों पर पीएसी श्रेणी के अंतर्गत खरीदी गई दवाईयों के कारण ₹ 30 लाख की हानि हुई।

(पैरा 4.1.1, 4.1.2 और 4.1.3)

V. क्षेत्रीय रेलों में कई अस्पतालों में उचित भंडारण सुविधा की कमी थी। मध्य रेल में, खराब वातानुकूलक और ज्वलनशील एक्स-रे फिल्मों के अनुचित भण्डारण के कारण एसी ड्रग भंडार कक्ष में आग के कारण ₹ 0.75 करोड़ मूल्य की दवाईयां नष्ट हो गई। भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल में विभागीय स्टॉक सत्यापन के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं थी। परिणामस्वरूप, स्टॉक सत्यापन आठ क्षेत्रीय रेलों और चार उत्पादन इकाई अस्पतालों में नहीं किया गया था। **(पैरा 4.2 और 4.3)**

VI. मौजूदा मालसूची प्रबंधन प्रणाली अधिशेष दवाईयों की अधिकता को कम करने के लिये पर्याप्त नहीं थी। पांच क्षेत्रीय रेलों में ₹ 24.18 लाख मूल्य की दवाईयों की उपयोग की अवधि समाप्त हो गई और उपयोग न की जा सकी। दो क्षेत्रीय रेलों में ₹ 7.57 लाख मूल्य की दवाईयां भी अधिशेष घोषित की गई। **(पैरा 4.1.2 एवं 4.4)**

VII. *आठ क्षेत्रीय रेलों जहां अवमानक दवाईयों की आपूर्ति की गई, में से चार क्षेत्रीय रेलों में जांच के परिणाम की प्राप्ति से पूर्व दवाईयों का उपयोग कर लिया गया था।* **(पैरा 4.5)**

VIII. *₹ 40.69 करोड़ मूल्य के चिकित्सा उपकरणों की खरीद में बिलंब हुआ। नौ क्षेत्रीय रेलों में और दो उत्पादन इकाई अस्पतालों में ₹ 20.73 करोड़ की लागत पर 56 चिकित्सा उपकरण खरीदे गये जो या तो कार्यचालन लायक नहीं थे या विलम्ब से चालू किए गए थे। प रे में अस्पताल द्वारा ₹ 62 लाख की लागत पर खरीदा गया एक चिकित्सा उपकरण अपनी 60 माह की कोडल लाइफ में से 28 माह तक उपयोग नहीं किया गया।* **(पैरा 4.6)**

IX. *रेलवे बोर्ड में स्वास्थ्य निदेशालय ₹ 66 लाख व्यय करने के बाद भी पिछले दो दशकों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी डाटा, चिकित्सा पहचान-पत्र और चिकित्सा इतिहास फोल्डरों के रखरखाव के संबंध में खराब दस्तावेजीकरण हुआ।* **(पैरा 5.1 और 5.2)**

X. *रेलवे अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा में कमी के परिणामस्वरूप 2008-13 के दौरान गैर-रेलवे अस्पतालों में 2.96 लाख मरीजों के उपचार के लिये ₹ 1145.98 करोड़ का निर्दिष्ट व्यय हुआ।* **(पैरा 5.3)**

XI. *2008-10 के दौरान पांच क्षेत्रीय रेलो में 27 चयनित अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान के लिये प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया था। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान अनुचित रूप से या तो गहरा दबाकर या खुली हवा में जलाकर किया गया।* **(पैरा 5.7)**

XII. *सात क्षेत्रीय रेलों और चार उत्पादन इकाई अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। चार क्षेत्रीय रेलों (पू.सी.रे., द.प.म.रे., द.रे. और प.रे.) में प्रदत्त टेलीमेडिसिन सुविधा या तो कार्यचालन लायक नहीं थी या अप्रयुक्त पड़ी थी।* ***(पैरा 5.9.4)***